COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क. निगरानी / एक / 2017

1—अनुराग दीक्षित पुत्र श्री गिरीश दीक्षित,

2—अशोक सिंह पुत्र श्री डोंगरसिंह यादव

निवासीगण ग्वालियर जिला ग्वालियर म.प्र.

............निगरानीकर्ता

बनाम

1—म.प्र.शासन जर्ये कलेक्टर श्योपुर

2—तहसीलदार, तहसील श्योपुर

...........गैरनिगरानीकर्तागण

श्री .... द्वारा आज दि. .... को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरूद्व तहसीलदार श्योपुर के प्र.क. 223 / 15—16 / बी—121 मे पारित आदेश दिनांक 22.09.16 से व्यथीत होकर।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः—

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :—

यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा संयुक्त रूप से कस्बा श्योपुर की भूमि सर्वे क्र. 411, 414, 415, 416, 417, 426, 427 / 1, 429 / 2, 430, 433, 434, 435, 436 / 2, 438 / 1, 439, 440, 441, 442, 443 / 1, 443 / 2, 447 / 2 / ग, 447 / 2 / ख, 447 / 2 / घ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP402682016A1462869 एवं MP402682016A1462915 के द्वारा विक्रेता खुशवंत सिंह पुत्र शादीराम से विधिवत स्टाम्प शुल्क चुकाकर दिनांक 02.08.2016 को क्रय की थी। उसके उपरांत आवेदकगण द्वारा पटवारी श्योपुर के समक्ष वादित भूमि पर नामांतरण हेतु विक्रय पत्र प्रस्तुत किये गये। पटवारी मौजा द्वारा नामांतरण न किये जाने के कारण आवेदकगण तहसीलदार श्योपुर के समक्ष उपस्थित हुए। जहां ज्ञात हुआ कि माननीय वरिष्ठ न्यायालय से विक्रेता खुशवंत सिंह का नाम विलोपित कर पूर्व की स्थिति कायम करते हुए पुनः सुनवाई के आदेश दिये गये है। उसके क्रम में तहसीलदार श्योपुर द्वारा प्र.क्रं. 223 / 15—16 / बी—121 में कार्यवाही की जा रही है। आवेदकगण द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/557/एक/2017 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-2-17	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 223/15–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 22–09–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण द्वारा कस्बा श्योपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 411, 414, 415, 416, 417, 426, 427/1, 429/2, 430, 433, 434, 435, 436/2, 438/1, 439, 440, 441, 442, 443/1, 443/2, 447/2/ग, 447/2/ख, 447/2/घ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 02–08–2016 क्रय की थी। जिसके नामान्तरण हेतु पटवारी श्योपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर पटवारी श्योपुर द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण आवेदकगण तहसीलदार श्योपुर के समक्ष उपस्थित हुये जहाँ ज्ञात हुआ कि वादित भूमि के विक्रेता खुशवन्त सिंह का नाम विलोपित कर पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिय गये हैं। जिसके क्रम में तहसीलदार	

	श्योपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है। आवेदकगण द्वारा उसी समय अपने अभिभाषक के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु एवं वादित भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के आवेदन पर कोई कार्यवाही न कर वादित भूमि से क्रेता का नाम विलोपित कर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के पक्ष सुने तथा आवेदकगण की ओर से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 4– आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया की आवेदकगण द्वारा वादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है। विक्रय पत्र के आधार पर ही विचारण न्यायालय के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार नहीं किया	

	गया एवं वादित भूमि को न्यायालय को गुमराह कर गलत तथ्यों पर पारित करवाये गये आदेश के क्रम में पूर्व की स्थिति के रुप अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये गये। जबकि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में पूर्व की स्थिति यानी विक्रेता की माँ गुरुशरण कौर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। जिसका गलत अर्थ निकालते हुये अधीनस्थ न्यायालय नें मनमाने तरीके से भू-माफिया लोगों के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये गये। आवेदकगण के अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादित भूमि के संबंध में जिस समय आदेश पारित किया गया उस समय उन्होंने भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर लिया था। तथा आवेदकगण भूमि के संबंध में हितबद्ध पक्षकार थे। इसलिये उन्हें सुना जाना आवश्यक था। अन्त में आवेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क है कि वादित भूमि को आवेदकगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया था। जिसके आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण किया जाना चाहिए था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार किये जांने का निवेदन किया। 5- मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।	

6- उभयपक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्कों एवं उपलब्ध अभिलेख के क्रम में यह देखना है कि वादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है या नहीं मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि वादित भूमि आवेदकगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी। तथा पूर्व के आदेश में सभी पक्षों को सुनकर गुण दोषों पर निराकरण करने हेतु प्रकरण तहसीलदार श्योपुर की ओर भेजा गया था। पूर्व की स्थिति में विक्रेता की माँ गुरुशरण कौर का नाम होना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की भूल करते हुये अन्य लोग जिनका वादित भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है के नाम नामान्तरण कर दिया आवेदकगणों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। जिससे यह स्पष्ट है कि जिस दिनांक को आदेश पारित किये गये थे। उस दिनांक को भूमि के स्वत्व में परिर्वतन हो चुका था। तथा आवेदकगण वादित भूमि में हितबद्ध पक्षकार बन चुके थे। ऐसी स्थिति में आवेदकगणों के हितो की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया है तथा पूर्व में पारित आदेश दिनांक से पूर्व ही भूमि के स्वत्व में परिवर्तन हो जाने के कारण पूर्व में पारित किया गया आदेश शून्यवत् है एवं तहसीलदार

श्योपुर द्वारा पारित आदेश विधि एवं विधान के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्योपुर जिला श्योपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 223/2015–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 22–09–2016 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदकगण का नाम कस्बा श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 411, 414, 415, 416, 417, 426, 427/1, 429/2, 430, 433, 434, 435, 436/2, 438/1, 439, 440, 441, 442, 443/1, 443/2, 447/2/ग, 447/2/ख, 447/2/घ पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्योपुर को दिये जाते है।

(एम०के० सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर